प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2797/2008

याचिकाकर्ता:

संजय कुमार चेटम, आयु लगभग 22 वर्ष, पिता स्व. सेख राम चेटम, निवासी ग्राम पोड़ी (मोहदा), थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पुलिस विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका)

(एकल न्यायपीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश)

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए श्री ऋषि राहुल सोनी, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादीगण हेतु श्री वाई.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 16.06.2008 को पारित)

1. श्री वाई.एस. ठाकुर, विद्वान उप महाधिवक्ता, जो राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित हुए हैं, ने तर्क दिया कि इस प्रकरण में किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे गुण-दोष के आधार पर प्रकरण में तर्क देने के लिए तैयार हैं। तदनुसार, पक्षकारों की सहमति से, प्रकरण को अंतिम सुनवाई हेतु लिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने आक्षेपित आदेश दिनांक 20.07.2006 (संलग्नक पी/1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 17.07.2006 को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि परिपत्र के अनुसार, आवेदन मृत कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए था। आवेदन कालवार्जित होने के कारण तदनुसार अस्वीकार कर दिया गया था।

3. निर्विवाद तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता के पिता, जो थाना बिलासपुर, जिला बिलासपुर में आरक्षक के पद पर कार्यरत था, की सेवा के दौरान दिनांक 24.10.1991 को मृत्यु हो गई थी। बिलासपुर जिला तब तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था। वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य

दिनांक 01.11.2000 को अस्तित्व में आया। याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर वयस्क होने पर लगभग 15 वर्षों की अवधि के पश्चात दिनांक 17.07.2006 को अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को आदेश दिनांक 20.07.2006 (संलग्नक पी/1) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। तत्पश्चात, एक अभ्यावेदन दिया गया था। याचिकाकर्ता ने लगभग 20 माह की अवधि के पश्चात दिनांक 13.04.2008 को यह याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें आक्षेपित आदेश दिनांक 20.07.2006 को निरस्त करने और संबंधित प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु उचित निर्देश देने की मांग की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री ऋषि राहुल सोनी, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता का मामला परिपत्र दिनांक 10.06.1994 (संलग्नक पी/3) द्वारा शासित होता है, जिसमें कंडिका-5 में यह उपबंध है कि एक अप्राप्तवय वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकता है। श्री सोनी ने आगे तर्क दिया कि ज्ञापन दिनांक 01.05.2000, जिसमें यह उपबंध है कि अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन छह माह की अवधि के भीतर किया जाए, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। अतः, उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2006 (संलग्नक पी/1) विधि विरुद्ध है और निरस्त किए जाने योग्य है।

5. इसके विपरीत, श्री वाई.एस. ठाकुर, राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अनुकंपा नियुक्ति सामान्य नियम का एक अपवाद है और अनुकंपा नियुक्ति मृत कर्मचारी के परिवार के अचानक आए वित्तीय संकट से उबरने के लिए दी जाती है। याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु दिनांक 24.10.1991 को हुई थी। याचिकाकर्ता का परिवार भरण-पोषण करने में समर्थ रहा और याचिकाकर्ता दिनांक 17.07.2006 से पहले आवेदन करने में भी विफल रहा। याचिकाकर्ता ने 15 वर्षों से अधिक समय तक प्रतीक्षा की और परिवार अपने स्वयं के स्रोतों से जीवित रहा है। परिपत्र दिनांक 10.06.1994 वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होता है क्योंकि समय-समय पर उत्तरवर्ती परिपत्र दिनांक 01.05.2000 और आगे के परिपत्र दिनांक 02.02.2006 जारी किए गए थे। चूंकि आवेदन हाल ही में जुलाई 2006 में किया गया था, अतः प्रचलित परिपत्र लागू होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. श्री ठाकुर ने आगे तर्क दिया कि परिपत्र दिनांक 02.02.2006 में मृतक के आश्रित को शासकीय कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन करने का उपबंध है। राज्य सरकार ने उन मामलों पर विचार न करने का निर्णय लिया है जिनमें शासकीय कर्मचारी की मृत्यु दिनांक 01.11.1997 से पहले हुई है। उक्त परिपत्र को इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता

के पिता की मृत्यु दिनांक 24.10.1991 को हुई थी। अतः, आवेदन अन्यथा भी विचारणीय नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, अभिवचनों और उससे संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन करने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि जब वर्तमान प्रकरण में आवेदन किया गया था, तब परिपत्र दिनांक 10.06.1994 प्रचलित नहीं था। उक्त परिपत्र तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी किया गया था। वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य ने बाद में परिपत्र पारित किए हैं। हाल ही में, छत्तीसगढ़ राज्य ने परिपत्र दिनांक 02.02.2006 द्वारा केवल उसी प्रकरण में छह माह की अवधि के भीतर आवेदन करने का उपबंध किया है जहां कर्मचारी की मृत्यु दिनांक 01.11.1997 के पश्चात हुई हो। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु दिनांक 24.10.1991 को हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. यह सुस्थापित है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती की कोई विधि नहीं है, अपितु संकटग्रस्त परिवार को निराश्रितता से बचाने के लिए मृत कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को तत्काल पुनर्वास प्रदान करने की एक सुविधा है। दूसरे शब्दों में, अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य अभावग्रस्त परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है न कि नियोजन प्रदान करना। यह भी सुस्थापित है कि कर्मचारी की मात्र मृत्यु उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने का अधिकार नहीं देती है

यदि परिवार के सदस्य आय के अन्य स्रोतों से स्वयं का वित्तीय पोषण कर सकते हैं।

9. **हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य विरुद्ध हाकिम सिंह**[1] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "किसी भी अनुकंपा नियुक्ति योजना का पूरा उद्देश्य परिवार को उसके एकमात्र कमाने वाले सदस्य की असामयिक मृत्यु के कारण आश्रितों पर आए अचानक वित्तीय संकट से उबरने के लिए सहायता प्रदान करना है।"

10. **मणिपुर राज्य विरुद्ध मो. राजाउद्दीन**[2] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने, अनुकंपा नियुक्ति पर विभिन्न मामलों को सुनने के पश्चात, निम्नानुसार निर्धारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"11. श्रीमती सुषमा गोसाईं एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य (1989 (4) एस.सी.सी. 468) के प्रकरण में यह देखा गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के सभी दावों में, नियुक्ति में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का उद्देश्य परिवार में उपार्जक की मृत्यु के कारण होने वाली कठिनाई को कम करना है। इसलिए, संकटग्रस्त परिवार को उबारने के लिए ऐसी नियुक्तियाँ तुरंत प्रदान की जानी चाहिए। यह तथ्य कि संतान अपने

1 **(1997) 8 एस.सी.सी. 85**
2 **ए.आई.आर. 2003 एस.सी.डब्ल्यू. 4339**

पिता की मृत्यु के समय अप्राप्तवय था, कोई आधार नहीं है, जब तक कि योजना स्वयं विशेष रूप से अन्यथा परिकल्पना न करे, यह कथन करना कि जैसे-जैसे और जब ऐसा अप्राप्तवय वयस्क हो जाता है, उसे बिना किसी समय बंधन या सीमा के नियुक्त किया जा सकता है। उपर्युक्त दृष्टिकोण को फूलवती (श्रीमती) विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य (1991 पूरक (2) एस.सी.सी. 689) और भारत संघ एवं अन्य विरुद्ध भगवान सिंह (1995 (6) एस.सी.सी. 476) के प्रकरणों में दोहराया गया था। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एवं अन्य विरुद्ध पुष्पेंद्र कुमार एवं अन्य (1998 (5) एस.सी.सी. 192) के प्रकरण में यह निर्धारित किया गया था कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में किसी विशेष पद के लिए आग्रह नहीं किया जा सकता है। शुद्ध मानवीय विचार से और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक परिवार अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, मृतक के आश्रितों में से एक को नियुक्ति देने के प्रावधान किए गए हैं जो नियुक्ति के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनुकंपा नियोजन के आधार पर प्रावधान जो सामान्य प्रावधानों के अपवाद के रूप में है, नियुक्ति के लिए पात्र उन अन्य व्यक्तियों के अधिकार में अनुचित रूप से हस्तक्षेप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं करता है जो उस पद के विरुद्ध नियुक्ति चाहते हैं जो उपलब्ध होता यदि मृतक कर्मचारी के आश्रित की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को सक्षम करने वाला प्रावधान न होता। चूंकि यह सामान्य प्रावधानों के अपवाद की प्रकृति में है, इसलिए यह उस प्रावधान का स्थान नहीं ले सकता जिसका यह अपवाद है और इस प्रकार मुख्य प्रावधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को पूरी तरह से छीनकर मुख्य प्रावधान को शून्य नहीं कर सकता है।"

11. उच्चतम न्यायालय ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य विरुद्ध सज्जाद अहमद मीर, 2006 (5) एस.सी.सी. 766 के प्रकरण में, कंडिका 11 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"11.....यह है कि ऐसी नियुक्ति सामान्य नियम का एक अपवाद है। सामान्यतः, सरकार या अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में नियोजन उन सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए खुला होना चाहिए जो आवेदन करने के लिए आगे आ सकते हैं और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। प्रतिस्पर्धी योग्यता के आधार पर, नियुक्ति से तब तक विचलित नहीं होना चाहिए जब तक कि विवशताकारी परिस्थितियां मांग न करें, जैसे कि एकमात्र उपार्जक की मृत्यु, परिवार का जीवित रहना और परिवार का संकट झेलना। एक

बार जब यह सिद्ध हो जाता है कि उपार्जक की मृत्यु के बावजूद, परिवार जीवित रहा और पर्याप्त अवधि समाप्त हो गई है, तो नियुक्ति के सामान्य नियम की उपेक्षा करने और संविधान के अनुच्छेद 14 के शासनादेश की अनदेखी करते हुए कई अन्य लोगों के हितों की कीमत पर एक पर अनुग्रह दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

12. विधि के उपर्युक्त सुस्थापित सिद्धांतों के आलोक में, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करते हुए, याचिकाकर्ता किसी अनुतोष का पात्र नहीं है। इस याचिका में कोई सार नहीं है। याचिका तदनुसार खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**